

सेवा में,

श्रीमान साइबर थाना अध्यक्ष महोदय, बिहार शरीफ, नालंदा, बिहार - 803101

विषय:- स्पंदना स्फूर्ति फाइनेशियल लिमिटेड कंपनी का पैसा गवन करने के संबंध में,

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं दीलीप कुमार शर्मा, उम्र 40 वर्ष, (फोन-8789456397) पिता- श्री हरिवंश महाराज, ग्राम-मधुरापुर, वार्ड नं०-14, पोस्ट-मधुरापुर, थाना-विदुपुर, जिला-वैशाली, बिहार 844503 के स्थाई निवासी हूँ। वर्तमान में मैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनेशियल लिमिटेड कंपनी के शाखा में क्षेत्र प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ।

स्पंदना स्फूर्ति फाइनेशियल लिमिटेड कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के तहद पंजीकृत है। यह कंपनी ग्रामीण महिलाओं को समूह में उनके छोटे-छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन प्रदान करती है और मासिक किस्त के अनुसार पैसा कलेक्शन करती है।

यह शाखा बिहार शरीफ में नाम-रामचंद्र प्रसाद (फोन नं०- 7250224373), पिता-नारायण महतो, ग्राम-बिसकुरवा, पोस्ट+थाना-बिहार शरीफ, जिला-नालंदा, बिहार 803101, के मकान में स्थित है।

मेरे बिहार शरीफ (अस्थावां) शाखा के सात कर्मचारियों ने मिलकर (01) अंकित कुमार-SF0063357 (02) पप्पू कुमार-SF0089483 (03) विकास कुमार-SF0079908 (04) सूर्यकान्त कुमार-SF0081161 (05) मनोज कुमार-SF0084174 (06) मुकेश कुमार-SF0048636 (07) मुन्ना कुमार-SF0036048 के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के महिला ग्राहकों के लोन के किस्त का कुल रुपया 1506295 (पंद्रह लाख छः हजार दो सौ पंचानवे रुपया) का गवन किया गया है।

(1) पहला कर्मचारी जो बिहार शरीफ (अस्थावां) शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत था जिसका नाम-अंकित कुमार ID-SF0063357 मो० 9142414347/9546432115 पिता-दिलीप सिंह, ग्राम-हिसापुर, पोस्ट-टेकारी, थाना-कोच, जिला-गाया जी, बिहार 824236 के स्थाई निवासी है जिसने कुल रुपया 618862 (छः लाख अठारह हजार आठ सौ बासठ रुपए) का गवन किया है।

(2) दूसरा कर्मचारी जो बिहार शरीफ (अस्थावां) शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम-पप्पू कुमार ID-SF0089483 मो० 8404856130 पिता-शम्भू कुमार ग्राम+पोस्ट-कुमार, थाना-सिकंदरा, जिला-जमुई, बिहार 811315 के स्थाई निवासी है जिसने कुल रुपया 34590 (चौतीस हजार पांच सौ नव्वे रुपया) का गवन किया है।

(3) तीसरा कर्मचारी जो बिहार शरीफ (अस्थावां) शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम-विकास कुमार ID-SF0079908 (मो० 7979972598) पिता- रंजीत रावत, ग्राम-जाजल, पोस्ट-पटम्बर, थाना-सिकंदरा, जमुई, बिहार 811315 के स्थाई निवासी है जिसने कुल रुपया 84680 (चौरासी हजार छह सौ अस्सी रुपए) का गवन किया है।

(4) चौथा कर्मचारी जो बिहार शरीफ (अस्थावां) शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम-सूर्यकान्त कुमार ID -SF0081161 (मो० 7858937992) पिता-वासुकी प्रसाद, ग्राम+पोस्ट-पटम्बर,

S.I. Rawani 15 will please
Registered Nalanda cycle PS
126/1- dated 13/11/15
Shankar the case.

13/11/15
DTP (Nalanda cycle PS)

13/11/15 - U/S 318(B)(3)(5) of BNS,

थाना-सिकंदरा, जमुई, बिहार 8113158 के स्थाई निवासी है जिसने कुल रुपया 421799(चार लाख इक्कीस हजार सात सौ पचास रुपये) का गबन किया है।

(05) पांचवा कर्मचारी जो बिहार शरीफ (अस्थावां) शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम-मनोज कुमार ID -SF0084174 (मो०-7739577894) पिता-महेन्द्र यादव, ग्राम- लदहा, पोस्ट- लखमोहन, थाना -अकबरपुर, नवादा,बिहार 805121 के स्थाई निवासी है जिसने कुल रुपया 113052 (एक लाख तेरह हजार बावन रुपए) का गबन किया है।

(6)छठा कर्मचारी जो बिहार शरीफ (अस्थावां) शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम-सुकेश कुमार ID -SF0048636 (मो०-9304156675) पिता-रविंदर राम, ग्राम-मिर्जाचाचक, पोस्ट-बीर, थाना-धनरुवा, पटना, बिहार 8804451 के स्थाई निवासी है जिसने कुल रुपया 223193(दो लाख तेईस हजार एक सौ तिरानह्ने रुपए) का गबन किया है।

(7)सातवाँ कर्मचारी जो बिहार शरीफ (अस्थावां) शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम-मुन्ना कुमार ID -SF0036048 मो०7542909511/7667392962 पिता -महेश यादव, ग्राम -सीतूचक, पोस्ट-झाझा, थाना- झाझा, जमुई, बिहार 811315 के स्थाई निवासी है जिसने कुल रुपया 10119 (दस हजार एक सौ उन्नीस रुपए) का गबन किया है।

जाँच के दौरान एकत्र की गई सूचना एवं आंकड़ों को इस पूर्व कर्मचारियों से भी साझा किया गया ताकि इस कर्मचारियों को इस बात की सूचना प्राप्त हो सके की कंपनी बिहार शरीफ शाखा के अपने सभी ग्राहकों का निरीक्षण कर लिया है।

उपरोक्त तथ्यों अभिलेखों एवं स्थानीय जाँच तथा ऑडिट जाँच के उपरांत यह स्पष्ट रूप से पाया गया की पूर्व ऋण कर्मचारियों के द्वारा एक पूर्व नियोजित षडयंत्र के तहत छल पूर्वक अभिलेखों से कपट पूर्वक प्रविष्टियां दर्ज कर लाभान्वित होने वाली महिला ग्राहकों (जिसकी सूची) साथ संगलन है एवं इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, लोन पेमेंट रिसीव कार्ड, और डिजिटल पेमेंट (फोन पे) रिसीव स्लिप, संगलन है, महिला ग्राहकों द्वारा समय-समय पर लोन की मासिक किस्तों में से कुल ₹1506295 (पंद्रह लाख छः हजार दो सौ पंचानबे रुपया) राशि का गबन कर लिया है, विधीत है की इस कर्मचारियों से इस सम्बन्ध में फोन कर जवाब की मांग की गयी थी लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार जवाब नहीं दिया गया तदो उपरांत इस पूर्व ऋण कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

अतः अनुरोध है की इनके विरुद्ध उक्त राशि के गबन के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान करने की कृपया की जाए, अनुलग्नक यथोपरि।

आपका विश्वासी

दिलीप कुमार शर्मा